


डिक्री व मुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर- 45/2019



रतन कुमार पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला तहसील डबवाली जिला
सिरसा।
बनाम
वादी

1. रामप्रताप पुत्र ईशर जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला तहसील डबवाली जिला
सिरसा।
2. इन्द्रपाल पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 3 केएचआर ढाणी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
3. छोटूराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला तहसील डबवाली जिला
सिरसा।
4. शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 6 जी.एम.डी. तहसील व जिला
श्रीगंगानगर।
5. लाजवन्ती पुत्री रामप्रताप पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी लाड़ाना तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. रोशनी देवी पुत्री रामप्रताप पत्नी रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील
सूरतगढ।
7. कमलादेवी पुत्री रामप्रताप पत्नी इन्द्राज जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील
हनुमानगढ।
8. सुनीता माता निरंजना पत्नी जगनेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी लाड़ाना तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. अनोखी माता निरंजना पत्नी हंसराज जाति बिश्नोई निवासी लाड़ाना तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. ममता माता निरंजना पत्नी सुभाष जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
11. रामनिवास माता निरंजना पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रोबरु हमारे बहाजरी श्री कर्मवीर चालिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र
गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी
जाती है कि वादी रतन कुमार को चकनं 1 केएचआर के खाता 94/84 में अंकित
2.602 है 0 में से .932 है 0 आराजी तथा प्रतिवादी सं 2 इन्द्रपाल को चकनं 1
केएचआर के खाता सं 94/84 में से 2.602 है 0 मे से 1.670 है 0 आराजी के खातेदार
काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं 1 केएचआर के खाता सं 94/84 मे से
प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार
राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन
मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....
निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तकअदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से
आज दिनांक 27/11/19.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी